

Signature and Name of Invigilator

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

(In figures as per admission card)

1. (Signature) _____
(Name) _____

Roll No. _____
(In words)

2. (Signature) _____
(Name) _____

Test Booklet No.

J-9207

PAPER – III
HUMAN RIGHTS AND
DUTIES

Time : 2½ hours]

[Maximum Marks : 200

Number of Pages in this Booklet : 32

Number of Questions in this Booklet : 26

Instructions for the Candidates

1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
2. Answers to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

No Additional Sheets are to be used.

3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :

(i) To have access to the Test Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.

(ii) **Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the question booklet will be replaced nor any extra time will be given.**

4. Read instructions given inside carefully.
5. One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
6. If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
7. You have to return the Test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
8. Use only Blue/Black Ball point pen.
9. Use of any calculator or log table etc. is prohibited.
10. There is NO negative marking.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए।
2. लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुये रिक्त स्थान पर ही लिखिये।

इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है।

3. परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी। पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :

(i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी सील को फाड़ लें। खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें।

(ii) कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात् किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

4. अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
5. उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है।
6. यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे।
7. आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें।
8. केवल नीले / काले बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करें।
9. किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।
10. गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे।

HUMAN RIGHTS AND DUTIES

मानव अधिकार एवं कर्तव्य

PAPER – III

प्रश्न-पत्र – III

NOTE: This paper is of two hundred (200) marks containing four (4) sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र दो सौ (200) अंको का है एवं इसमें चार (4) खंड है। अभ्यर्थियों को इन में समाहित प्रश्नों का उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है।

SECTION - I

खण्ड – I

Note : This section contains five (5) questions based on the following paragraph. Each question should be answered in about thirty (30) words and each carries five (5) marks.

(5x5=25 marks)

नोट : इस खंड में निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित पाँच (5) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंको का है।

(5x5=25 अंक)

The most obvious way to construe freedom is negatively : it means not being restrained. This means not having to live ones life under a ruler who has arbitrary power. It is easy to argue that if freedom means not being restrained, and if I am restrained from doing what I want by lack of money, then poverty is un freedom. The term freedom can then slip into 'power' and we are well launched on the road towards creating a begin despot who will abolish poverty and equalise our power. Hobbes was no less suspicious of freedom than he was of justice, and he defined it as 'the silence of the law'. One was free, where no constraining legal rule obliged one to conform. The familiar European tradition has been to define freedom as the condition of living under the rule of law, by contrast with subjection to arbitrary command. Yet even this view conceals possible problems. If freedom is nothing else but the absence of restraint, then how can we be free at the point where a law restrains us from doing what we want ? This was the view taken by Hobbes, and his follower Jererry Bentham, but the point at issue requires is to realise that a law is purely abstract and leaves the dis-cretion unfettered. Most people, for example are not powerfully constrained by sanctions against solving ones problems by murder. They grow up instinctively it as an acceptable option.

स्वतंत्रता को समझने का सबसे स्पष्ट तरीका निषेधात्मक है; इसका अर्थ है प्रतिबंधित न होना इसका अर्थ है एक निरंकुश शासक के अधीन रहने के लिए बाध्य न होना, यह तर्क करना आसान है कि यदि प्रतिबंधित न होने का अर्थ स्वतंत्रता है और मैं धनाभाव के कारण वह करने से रोका जाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ तो गरीबी अस्वतंत्रतया पराधीनता है तो स्वतंत्रता का शब्द 'शक्ति' में बदल जायेगा और हम सब एक परोपकारी तानाशाह की सृष्टि के मार्ग पर चल पड़ेंगे जो गरीबी मिटा देगा और हम सबको समान शक्ति प्रदान करेगा। 'हॉब्स' स्वतंत्रता के प्रति-कम शकालु नहीं था न्याय की अपेक्षा और उसने इसे 'कानून की चुप्पी' (विधिका मौन) कहा है। व्यक्ति वहाँ स्वतंत्र था जहाँ कोई किसी कानून को मानने को बाध्य नहीं था। परिचित यूरोपीय परंपरा में स्वतंत्रता को कानून के अधीन रहने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है या ऐच्छिक (मनमाने) आदेशों के विपरीत। तो भी यह दृष्टिकोण संभावित समस्याओं को छिपा देता है, यदि स्वतंत्रता प्रतिबंधों के आभाव के अलावा कुछ नहीं है तो हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं जब कि हम जो करना चाहते हैं उसे करने से हमें रोका जाता है, यह दृष्टिकोण था हॉब्स और उसने अनुयायी जेरीबेंथम का, लेकिन मुद्दा विचारणीय यह है कि कानून शुद्ध रूप से अमूर्त है और विवेक को खुली छूट दे देता है, उदाहरणार्थ अधिकांश लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए हत्या के प्रतिबंध से शक्तिशाली रूप से बाध्य नहीं है। वे स्वाभाविक प्रवृत्तियों के साथ पैदा होते हैं जिसमें उसे स्वीकृत विकल्प के रूप से स्वीकार नहीं किया जाता।

7. Write a note on the right to freedom of expression under the Indian constitution.
भारत के संविधान के अन्तर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर टिप्पणी लिखिए।

8. Write a critical note on 'dowry deaths' in India.
भारत में दहेज के कारण मृत्यु ' विषय पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए।

15. Write a note on the human rights issues of HIV - affect persons.

एच.आइ.वी से प्रभावित लोगों से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी कीजिए।

16. Explain the context of the 'right' to self determination'.

'आत्मनिर्णय के अधिकार' के संदर्भ को समझाइए।

19. Write a brief note on the human rights of refugees in the context of the Universal Declaration of Human Rights

मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणपत्र में शरणार्थियों के संदर्भ में मानवाधिकारों पर टिप्पणी लिखिए।

20. Write a brief note on the provisions in the Indian constitution for the protection of human rights of indigenous people.

भारतीय संविधान में भूमिज (इंडीजीनस) लोगों के संरक्षण के लिए बने प्रावधानों पर टिप्पणी लिखिए।

SECTION - III

खण्ड – III

Note : This section contains five (5) questions of twelve (12) marks each.
Each question is to be answered in about two hundred (200) words.
(12x5=60 marks)

नोट : इस खंड में बारह (12) अंकों के पाँच (5) प्रश्न हैं। हर प्रश्न का उत्तर लगभग (200) शब्दों में अपेक्षित है।
(12x5=60 अंक)

21. Discuss the context and concern of the Universal Declaration of Human Rights.
मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के सन्दर्भ तथा सरोकारों की चर्चा कीजिए।
22. Bring out the sociological foundation of the Indian constitution
भारतीय संविधान के समाजवैज्ञानिक आधार की व्याख्या कीजिए।
23. Trace briefly the inter-relationship between human rights and responsibilities.
मानवाधिकारों एवं दायित्वों के अन्तरसंबंधों के क्रमिक विकास का संक्षेप में दर्शायें।
24. Discuss the working of the International Criminal court.
अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की कार्यप्रणाली पर चर्चा कीजिए।
25. Discuss the Human Rights principles enshrined in the writings of Dr. B. R. Ambedkar.
डॉ.बी.आर. अंबेडकर की रचनाओं में प्रतिस्थापित मानवाधिकारों के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए।

SECTION - IV

खण्ड – IV

Note : This section consists of one essay type question of forty (40) marks to be answered in about one thousand (1000) words on any of the following topics. This question carries 40 marks.

(40x1=40 marks)

नोट : इस खंड में एक चालीस (40) अंको का निबन्धात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर निम्नलिखित विषयों में से केवल एक पर, लगभग एक हजार (1000) शब्दों में अपेक्षित है।

(40x1=40 अंक)

26. Critically examine the working of various agencies in India concerned with the enforcement of Human rights. How can they be made more effective ?

भारत में मानवाधिकारों के प्रवर्तन में संलग्न विभिन्न अधिकरणों (ऐजेन्सीज) की कार्यप्रणाली की समीक्षा कीजिए। वे कैसे अधिक प्रभावी बनाई जा सकती हैं?

OR

Write an explanatory note on 'treaty based' and 'charter based' Mechanisms for human rights and examine how effective they have been.

मानवधिकारों के 'संधि आधारित' और 'चार्टर आधारित' कार्यप्रणाली (मिकैनिज्म) पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए और समीक्षा कीजिए कि वे कितनी प्रभावी रही हैं।

OR

Write a review note on the role of Indian Media in protecting and promoting human rights.

मानवाधिकारों के संरक्षण तथा प्रोन्नति में भारतीय मीडिया की भूमिका पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए।

FOR OFFICE USE ONLY							
Marks Obtained							
Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained
1		26		51		76	
2		27		52		77	
3		28		53		78	
4		29		54		79	
5		30		55		80	
6		31		56		81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	
10		35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	
25		50		75		100	

Total Marks Obtained (in words)

(in figures)

Signature & Name of the Coordinator

(Evaluation) Date